37–(08)–115–2013

पटना में दिनांक–31 मार्च, 2013 रविवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पुरातत्व निदेशालय एवं संग्रहालय निदेशालय के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के विकास हेतु विभिन्न निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अभियंत्रण कोषांग के गठन के संबंध में। — 1 — **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(विशेष)

2. बिहार में भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित "एस०आर०ई०" योजनान्तर्गत जिलों में आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा में पीड़ितों के सहायतार्थ मुआवजा की राशि के निमित्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार नयी योजना लागू करने के संबंध में। — 2 — **स्वीकृत।**

गृह विभाग

3. दिनांक–18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, की न्यायिक जाँच हेतु गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग का दिनांक–01.04.2013 से दिनांक–30.09.2013 तक अवधि विस्तार के संबंध में। — 3 — **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4. रेलवे मजिस्ट्रेट, छपरा के एक पद का गैर योजना मद में स्थायी रूप से सृजन। — 4 — **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ो वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–20 पर बनिया जाति की उप जाति के रूप में दर्ज कैथलवैश्य/ कथबनिया जाति को विलोपित कर उसे (कैथलवैश्य/ कथबनिया को) अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–110 पर दर्ज सिन्दुरिया बनिया के साथ शामिल करने के संबंध में। — 5 — **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6.	सरकारी जी०एन०एम०/ए०एन०एम० प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षुओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने के संबंध में।	6	स्वीकृत।

कृषि विभाग

7.	सिंचाई के लिए डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत 619.75 करोड़ रू० में से वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में सुखाड़ के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को सिंचाई हेतु अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के फलस्वरूप बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड) को हुई वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु 382.83 करोड़ रूपये भुगतान की स्वीकृति तथा इसके अधीन स्वीकृत राशि की 50 प्रतिशत राशि कम्पनी को विमुक्त करने एवं शेष राशि कम्पनी द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन के समर्पण के पश्चात भुगतान करने की स्वीकृति।	7	स्वीकृत।